

आ 2/193/2022

तारीख रजू

लीला देवी बनाम विमला देवी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

13.07.2022

वकील प्रार्थी उपरिथत। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 37, 38, वाके ग्राम रींगसपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिये कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।

अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 28.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को द्रावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 28.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

28-7-22 सुभाष इंस्टीट्यूट एच.ए.ए.
राह आलवर 201 471
आपकी दिनांक 27/9/22
को पेश हो।

नम्बर
जो इस हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

9/5/23

हुक्म नं०/प.०.
राह...
आपकी दिनांक 11/9/23.
को पेश हो।

11/9/23

हुक्म नं०/प.०.
राह...
आपकी दिनांक 23/10/23
को पेश हो।

23/10/22

हुक्म नं०/प.०.
राह...
आपकी दिनांक 10/11/22
को पेश हो।

10/11/23

वकील द्वारा उपस्थित नहीं कही जाये व उक्ति
प्रति को का-2 आवेदन दिखाई
को उपस्थित नहीं आया। अतः जारी
का-2 के अन्तर्गत - अफस
द्वारा को-2 के अन्तर्गत उपस्थित किया
जाया है परन्तु को-2 के अन्तर्गत
को-2 के अन्तर्गत को-2 के अन्तर्गत
रही है।

उपस्थित अधिकारी
कपूर (अलपर)